



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022021-225314
CG-DL-E-20022021-225314

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/माघ 30, 1942

No. 81]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

फा. सं. CEA-PS-11-23(21)/9/2020-PSPA-I Division.—जबकि मेसर्स अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय अदानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, वैष्णोदेवी सर्कल के पास, एस. जी. हाइवे, अहमदाबाद-382421 में है, ने पारेषण योजना “मैसर्स अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के भुज, गुजरात में 300 MW विंड फार्म्स ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I दिनांक 28.08.2020 के द्वारा पारेषण योजना “मैसर्स अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के भुज, गुजरात में 300 MW विंड फार्म्स ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाईनों लिए मेसर्स अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “मैसर्स अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के भुज, गुजरात में 300 MW विंड फार्म्स ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना” के तहत विद्युत लाइने बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए

सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईने हैं:

1. अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (गांव- नारायणपार, तहसील- कच्छ , जिला-भुज के आस पास पीएसएस- 1) – भुज –II पीएस 220 केवी S/C लाइन (M/C टावर्स पर) जेनरेशन सिरे पर सहयोगी बेज के साथ।
2. अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (गांव- वायात, तहसील- कच्छ, जिला-भुज के आस पास पीएसएस- 2) – अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएसएस- 1) 220 केवी S/C लाइन (D/C टावर्स पर) दोनों सिरों पर सहयोगी बेज के साथ।

स्कीम के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइने निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

राज्य: गुजरात

जिला	तहसील	गाँवों के नाम
कच्छ	नखतराणा	टोडिया, हीरापर टोडिया, हरिपर-हीरापर, काडिया नाना, काडिया मोटा, उखेडा, रसालिया नवा, रसालिया जूना, जदाय, वेहर, व्यार, बेरू, गोडजीपर, शांगनारा, अमरापर, जाडोदर, कोटडा, रामपर, रामपर (रोहा), सुखसान, ओलांगिया, नारानपर, नारायणपर, नारानपर रोहा, मोसुना, रोहा, रोहा-तलेटी, मफतनगर (नवानगर), नखतराना, विरानी नानी, विरानी मोटी, गणेशनगर, रवापार-नवावास, गांगोन, गांगोन उगामनी, गांगोन आथमणी, गांगोन राबनवाडी, भीभापार (विभापर), कोटदा, जरजोक, हिंगाना, विजपासर, सुखपर रोहा, सुखपर-वरामसेडा, वरामसेडा, मंगवाणा, जियापर (मंगवाणा), खिरसरा, खिरसा रोहा, नवावास, नवावास (वेसलसार-वेरसलपर), वडवा मोटा, वडवा नाना, वडवा भोपावाला, वडवा, वडवा भोपा, वडवा कन्यावाला, वांध, जवाहरपुर, खायाखाड, जनकपुर, रोहा, रतनपर, देवपर, दनाया, कुबरोई, माधापर, मोरगर (मोरजर), मंजल।
कच्छ	अब्दासा	वमोटीनानी, वमोटीमोटी, समान्डा, पियोनी, खुनिया, खानपर (कान्धे), डबन, वंध-टिम्बो, मोथाला, कोटाया, बालाछोड मोटी, बालाछोड नानी, भीमपर (भिमपर), सानोसरा, नांद्रा नाना, नांद्रा मोटा, नारेडी, भिट्टारा, बिट्टा, वडासर, करोडिया मोटा, करोडिया नाना।
कच्छ	मांडवी	असरानी (असारानी), बयात, वयात, भदाई नाना, भदाई मोटा, भोजाय, गांधीग्राम, नभोई मोटी, नभोई नानी, राटादिया नाना, राटादिया मोटा, शेरडी, उन्डोट नाना, उन्डोट मोटा, उन्डोट ब्राह्मणवली, दूजापुर, फिलोन, विरानी, विरानी नानी, विरानी मोटी, भेरैया, लुडवा, राजपर, राजपर-टिंबो, गढसिसा, मंजल, मांडवी, मांडवी-रूरल, पदमपर (पदमपुर), देधिया, सभराय (सुभराय), सावराय मोटी (सुभराय मोटी), सुभराय नानी, हालापार, हालापार-सांभाराय, मामाइमोरा (मोमायमोरा/मामायमोरा), रामपर, रामपर वेकरा, पालादिया, दरसडी, हमटा (हमला), कोकालिया, कुरबोई (कुरबाई), नानग्रेचा (नाग्रेछा), अजापार, जमथारा, दरशडी, पायका, गंगापर, मोडकुबा, विध,विध-टिंबो, चांगडाय, मेपर, बांभडाय, राजदा, डॉन, धोकडा, भिन्सा (ब्राकिश), बाडा, मोडकुबा, गोधरा, कोटेदी (महादेवपुर), मउ मोटी, मउ नानी, गोडालख, वांध, वरजाडी, देवपर, खोजाछोरा, गोनियासर नाना, गोनियासर मोटा।
कच्छ	भुज	वन्ध्या (वांध), वांध, देसलपर, नाभोई, कुरबाई, वडासर।

मैसर्स अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मैसर्स अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक को “मैसर्स अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के भुज, गुजरात में 300 MW विंड फार्म्स ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना” पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक 26-09-2020 से 02-10-2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
- (v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- (vii) मैसर्स अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

वी. के. मिश्रा, सचिव, के.वि.प्रा.

[विज्ञापन-III/4/असा./515/2020-21]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 27th January, 2021

F. No. CEA-PS-11-23(21)/9/2020-PSPA-I Division.—Whereas M/s. Adani Green Energy Limited (AGEL), the applicant with its registered office at Adani Corporate House, Shantigram, S G Highway, Ahmedabad, 382421, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity to M/s. Adani Green Energy Limited for its proposed 300 MW wind farms in Bhuj, Gujarat”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division dated 28.08.2020 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s. Adani Green Energy Limited for the overhead lines covered under the transmission scheme “Connectivity to M/s. Adani Green Energy Limited for its proposed 300 MW wind farms in Bhuj, Gujarat”.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines covered under the transmission scheme “Connectivity to M/s Adani Green Energy Limited for its proposed 300 MW wind farms in Bhuj, Gujarat”. The following overhead lines are covered under this transmission scheme:

1. Adani Green Energy Limited (PSS-1 in the vicinity of village Narayanpar, Tehsil Kutch, District-Bhuj) - Bhuj-II PS 220 kV S/c line (On M/c towers) along with associated bays at generation end.
2. Adani Green Energy Limited (PSS-2 in the vicinity of village Vayat, Tehsil-Kutch, District Bhuj, Gujarat) - Adani Green Energy Limited (PSS-1) 220 kV S/c line (on D/ c towers) along with associated line bays at both ends.

The above overhead lines included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

STATE: GUJARAT

District	Tehsil	Name of Villages
Kutch	Nakhatrana	Todiya, Hirapar Todiya, Haripar-Hirapar, Kadiya nana, Kadiya mota, Ukheda, Rasaliya nava, Rasaliya juna, Jaday, Wehar (vehar), Vyar, Beru, Godjipar, Shangnara, Amrapar, Jadodar, Kotda Jadodar, Kotda, Rampar, Rampar (roha), Sukhsan, Olangiya, Naranpar, Narayanpar, Naranpar roha, Mosuna, Roha, Roha-Taleti, Mafatnagar (navanagar), Nakhatrana, Virani nani, Virani moti, Ganeshnagar, Ravapar-Navavas Gangon, Gangon Ugamani, Gangon Aathamani, Gangon rabanwadi, Bhimbhapar (vibhapar), kotada, Jarjok, Hingana, Vijapasar, Sukhpar, Sukhpar roha, Sukhpar-Waramseda, Varamseda, Mangawana, Jiapar (Mangvana), Khirsara, Khirsara roha, Nawavas, Nawawas (Vesalsar-versalpar), Wadwa mota, Wadwa nana, Vadva bhopavala, Vadva, Vadva bhopa, Vadva kanyavala, Vangh, Jawaharpur, Khaiakhad, Janakpur, Roha, Ratnapar, Devpar, Danaya, Kubroi, Madhapar, Morgar (Morjar), Manjal.
Kutch	Abdasa	Wamoti nani, Wamoti moti, Samanda, Piyoni, Khuniya, Khanpar (kanday), Daban, Vandh-timbo, Mothala, Kotaya, Balachod moti, Balachod nani, Bhimpar (bhimpar), Sanosra, Nandra, Nandra nana, Nandra mota, Naredi, Bhittara, Bitta, Wadasar, Krodiya mota, Karodiya nana.
Kutch	Mandavi	Asrani (Asarani), Bayat, Vayat, Bhadai nana, Bhadai mota, Bhojay, Gandhigram, Nabhoi moti, Nabhoi nani, Ratadia nana, Ratadia mota, Sherdi, Undot nana, Undot mota, Undot brahmanvali, Dujapar, Filon, Virani, Virani nani, Virani moti, Bheraiya, Ludva, Rajpar, Rajpar-Timbo, Gadhsisa, Manjal, Mandvi, Mandvi-rural, Padampar (padampur), Dedhia, Sabhrai (subharai), Sabhrai moti (subharai moti), Subharai nani, Halapar, Halapar-Sambharai, Mamaimora (Momaymora/Mamaymora), Rampar, Rampar vekra, Poladiya, Darsadi, Hamta (hamla), Kokalia, Kurboi (kurbai), Nangrecha (Nagrecha), Ajapar, Jamthara, Darshadi, Pyaka, Gangapar, Modkuba, Vidh, Vidh-Timbo, Changdai, Mapar, Bambhdai, Rajada, Don, Dhokda, Bhinsra (Brackish), Bada, Modkuba, Godhra, kotedi (mahadevpur), Maun moti, Maun nani, Godalakh, Wandh, Varjadi, Devpar, Khojachora, Goniysar nana, Goniysar Mota.
Kutch	Bhuj	Wandhaya (vandh), Wandh, Desalpar, Nabhoi, Kurbai, Vadasar

M/s. Adani Green Energy Limited had complied with the MoP's procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above scheme. Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Adani Green Energy Limited for laying above overhead lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity to M/s Adani Green Energy Limited for its proposed 300 MW wind farms in Bhuj, Gujarat”. The details of the works are published in the Gazette of India dated 26-09-2020 to 02-10-2020.
- (v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vii) M/s. Adani Green Energy Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

V. K. MISHRA, Secy., CEA

[ADVT.-III/4/Exty./515/2020-21]